# माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र.

## ग्वालियर के समक्ष

(26)

नि.ग. – 479 – PBR/16

**शैलेन्द्र पिता भानुप्रताप सेंगर**

निवासी – ग्राम कैलोदकर्ताल

तहसील व जिला इन्दौर – प्रार्थी

श्री रजनी [illegible] शर्मा 4/3/16

4-3-16

विरूद्ध

1– **म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक**
ग्राम कैलोदकर्ताल तहसील व जिला इन्दौर

2– **हल्का पटवारी,**
ग्राम कैलोदकर्ताल तहसील व जिला इन्दौर

3– **श्रीमती सपना पति ज्ञानचंद कटारिया**
निवासी – 127, काटजू कॉलोनी, इन्दौर

4– **श्रीमती नीता पति बलराम सचदेव**
पता – 308–309, प्रोफेसर कॉलोनी, इन्दौर – प्रतिप्रार्थीगण

R.v. 4/3/16

## निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

4/3/2016

प्रार्थी, श्रीमान तहसीलदार महोदय, जूनी इन्दौर क्षेत्र द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 8/अ–70/13–14 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2016 के प्रवर्तन में श्रीमान राजस्व निरीक्षक ग्राम कैलोदकर्ताल द्वारा प्रकरण क्र. 710/री.तह./16 में दिनांक 07.01.2016 को प्रेषित सूचनापत्र से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है ।

– 2 पर

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी 779-पीबीआर/2016 जिला इंदौर

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13-11-18 | आवेदकपक्ष की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 17-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |